

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3763 / 2022 दिनांक : 08.12.2022

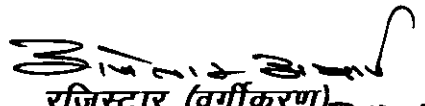
श्री मुकेश आर्य (RJ0425), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 28.10.2022 से 30.10.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.10.2022 से 27.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

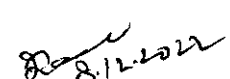

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 21/2/22

कमांक:-स्था.बी.2(4)/57/2002/ 8324

दिनांक : 08.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 8103 दिनांक 09.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री मुकेश आर्य (RJ0425), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
5. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।


सहायक रजिस्ट्रार